

28.2.18

पत्रावली प्रस्तुत। व्य. प्र. स. के आर्डर नियम 9 के तहत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं परीक्षा किया गया। याद प्रकरण संख्या 36/2017 दिनांक 12.12.2017 को अंतिम पंजी। अदालत धजवी में स्वीकार किया गया था। प्रार्थना पत्र द्वारा बयान स्वयं हो जाने के कारण दिनांक 12.12.2017 को उपस्थित नहीं होना जाहिर कर याद प्रकरण को रेस्टोर कोर्ट का निवेदन किया है। विद्वान अभिभाषक उत्पत्तीगण ने अवकाश प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कोर्ट से वादी के प्यर की डीसी 81 के है तथा दिनांक 17.10.2017, 24.10.2017, 07.11.2017, 21.11.2017 व 12.12.2017 को वादीगण एवं इनके अभिभाषक जानबुझकर अनुपस्थित रहे हैं अतः Order 9 Rule 9 एचए प्रार्थना पत्र सारहीन होने से स्वीकार फरमावे।

मूल याद पत्रावली 36/2007 का अवलोकन किया गया। दिनांक 24.10.17, 7.11.17, 21.11.17 एवं 12.12.17 को वादी के विद्वान अभिभाषक अनुपस्थित रहे हैं तथा दिनांक 21.11.17 एवं 12.12.17 को वादी भी अनुपस्थित बरत रहे। विद्वान अभिभाषक वादी की लगातार अनुपस्थिति से वादी हित प्रभावी हुआ है। वादी के हितों का पोषण करने में विद्वान अभिभाषक वादी एवं स्वयं वादी असफल रहा है। अतः लगातार अनुपस्थिति के मद्देनजर 09 R 9 एचए व प्रार्थना पत्र सारहीन होने से स्वीकार योग्य है। 09 R 9 एचए का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निष्पत्ति से - इजलास सुगमता गया। पत्रावली फरमान शुद्ध संकेत गमक से रक्त हो।

28/2/18  
(15 के गुप्त)